अपील / 13 / 2023 **न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर**

कमलसिंह पुत्र शिवचरन जाति गुर्जर निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1—कृष्णा कुमारी पत्नि लेखराज जाति पंजाबी निवासी कसाई गली कुम्हेर गेट भरतपुर

2—रेखा पत्नि राजपाल । जाति गुर्जर निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर

3—रामवती पत्नि अखयसिंह।

4—नायव तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

अपील विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार भरतपुर दिनांक 11—5—2023 बाबत नामान्तकरण संख्या 597

उपस्थित :—

1—श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,

2— श्री पुरुषोत्तम मुदगल, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 20.3.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार भरतपुर दिनांक 11.5.2023 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 597 ग्रांम बाघई रेस्पो0 के हक में नायव तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो. की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. न.4 की ओर से लिखित अभिकथन पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 11—5—23 को भरा गया है तथा उसी दिन नायव तहसीलदार भरतपुर ने इसे स्वीकार किया है।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

योग्य अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी को कानूनन नामान्तकरण ग्रांम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिये था, अगर 45 दिन तक नामान्तकरण पर निर्णय ग्रांम पंचायत नहीं लेती है तो यह नामान्तकरण नायव तहसीलदार के समक्ष पेश होता है। परन्तु यहाँ ऐसा नहीं हुआ, नायव तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तकरण विधि विरुद्ध स्वीकार किया है जो काविल निरस्ती के रहता है। तहत न्यायालय ने कब्जे के बाबत कोई जांच नहीं की है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट व उसके भाईयों का कब्जा है। दिखावटी बयनामा के आधार पर रेस्पो0 अपीलान्ट को परेशान कर रहे हैं। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2003(1) उद्यरत की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि तहत न्यायालय ने नियमों के तहत नामान्तकरण स्वीकार किया है। बयनामा दिनांक से रेस्पो. क्रय शुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। बयनामा वॉईड नहीं है बोइडेविल है जो किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध व शून्य करार नहीं दिया गया है। नायव तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र के अनुसार नामान्तकरण स्वीकार किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को के समर्थम में आरआरटी 2022—23 पेज 391 ने उद्यरत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 597 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 597 पंजीकृत बयनामा के आधार पर नायव तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 11.5.2023 को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में निम्न बिन्दु तैयार किये जाने हैं —

1— आया नायव तहसीलदार को नामान्तकरण स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था?

2— क्या नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जा बाबत जांच करनी चाहिये थी ?

1— पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा रेस्पो. न 4 नायव तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का अवलोकन किया गया। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 597 ग्रांम बघाई प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 में कैम्प के दौरान स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार/नायव तहसीलदार को प्रशासन गांव के साथ अभियान 2023 में नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की शक्तियॉ दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक/ प.3(13) राज.6/2023/10 दिनांक 17.4.2023 का अवलोकन किया गया है जिसमें प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 तहसीलदार/नायव तहसीलदारों को ग्रांम पंचायत के स्थान पर नामान्तकरण के

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

मामलों को निर्णित करने की शक्ति दी गई है। इससे यह निर्विवाद है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक 11.5.2023 नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के तहत स्वीकार किया गया है।

2— अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित आराजी का कब्जा क्रेता को नहीं दिया गया है। नायव तहसीलदार द्वारा कब्जे के बाबत कोई जांच नहीं की गई है स्वीकार योग्य नहीं। विवादित नामान्तकरण रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर क्रेता के नाम स्वीकार किया गया है। रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तकरण के प्रकरणों में कब्जे की जांच की आवश्यकता नहीं रहती है जैसा कि एलआर एक्ट में उल्लेख किया है — A Rajasthan Land Revenue Act, 135 Executant of a registered sale deed need not be heard in mutation proceedings following the execution of such deed-Unless proceedings for the cancellation of the sale de-deed have been initiated (in a civil court), the executat cannot raise any objection to the mutation; in favour of the purchaser-Purchaser of the Khatedari tank bed cannot be denied mutation.

इसी प्रकार आर.आर.डी.2002 पेज 723 मे प्रतिपादित किया है कि " Disputed land was sold to the non-applicant No.1 by the then khatedar through registered sale deed and possession was given-Mutation denied by Tehsildar on ;the report of Patwari that purchaser is not in possession- N0 enquiry was made by Patwari- Mutation deserves to be attested because sale is registered containing a recital that possession has also been handed over- If applicants have any grudge against sale deed, they are free to challege it in the competent court of law-There is no illegality or pervetsity in the order."

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत रुलिंग विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अपीलान्ट की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि बयनामा आज अस्तित्व में नहीं हो। इससे यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड वयनामा आज भी अस्तित्व में है। अतः अपील अपीलान्ट तथ्यहीन होने से काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर